

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 961/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तनावग्रस्त आसित प्रबंधन शाखा-11, (एसएएमडी), 11 वां तल, जवाहर व्यापार
मवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1, टॉलरटॉय मार्ग, जनपथ नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स गणेशम रॉयल होटल,
पता:- खसरा संख्या 357, ग्राम पेरवा, तहसील बाली, स्टेशन फालना, जिला धाली।
एवं प्लॉट नं. 28, इन्द्रा कॉलोनी, पानीपेय के पास, बनीपार्क, जयपुर।
2. श्री ललित धोका पुत्र श्री छगन लाल धोका,
3. श्रीमती ममता धोका पत्नी श्री ललित धोका,
4. श्री अमित धोका पुत्र श्री ललित धोका,
5. श्री आशीष धोका पुत्र श्री ललित धोका,
पता:- प्लॉट नं. 28, इन्द्रा कॉलोनी, पानीपेय के पास, बनीपार्क, जयपुर।
एवं फ्लेट नं. 101, प्रथम तल, प्लॉट नं. डी-12, गोकुल वाटिका, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
एवं फ्लेट नं. 9/845, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर 9, मालवीय नगर, जयपुर।
6. श्रीमती कंचन कंवर,,
पता:- जवाहर नगर, ग्राम पेरवा, तहसील बाली, जिला धाली।

अप्रार्थीनाम

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।


आदेश

दिनांक 20.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.06.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में 1. श्री आशीष धोका एवं कंवर ऑफ एटोर्नी श्री अमित धोका के स्वामित्व की संपत्ति फ्लेट नं. 1211, 12वीं मंजिल, मोहनपुरा, एच-ब्लॉक के पास, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1070.77 वर्गफीट, 2. श्रीमती ममता धोका के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. वी-17, सनसिटी फेज-1 एवं 2, सीकर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 420 वर्गमीटर को बंधक रख कर कुल राशि 11.22/- करोड़ रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.08.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक एवं हाईपोथिकेटेड उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 11.22/-करोड़ रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 10,83,34,483/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.08.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को जवाब दिया गया, जिसका निस्तारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक/हाइपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थीगण की बंधक 1. श्री आशीष धोका एवं पॉवर ऑफ एटोर्नी श्री अमित धोका के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 1211, 12वीं मंजिल, मोहनपुरा, एच-ब्लॉक के पास, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1070.77 वर्गफीट, 2. श्रीमती ममता धोका के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. वी-17, सनसिटी फेज-1 एवं 2, सीकर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 420 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 20.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



५०
 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर